# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बस्ती।

(जिला बस्ती राज्य उत्तर प्रदेश

पत्रसंख्या बेसिक–4/ 5086-87 /2014–15दिनांक 30-8- .2014

सेवा में,

प्रबन्धक,

**सुभावती देवी सत्यदेव पब्लिक स्कूल ,**
**(एस0डी0एस0, पब्लिक स्कूल) खड़ौहा,–बस्ती**

विषय– निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय,

आपके तारीख– 31.10.2011 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रति निर्देश से, मैं सुभावती देवी सत्यदेव पब्लिक स्कूल (एस0डी0एस0, पब्लिक स्कूल )खड़ौहा,–बस्ती को तारीख–31.03.2014 से तारीख 30 जून 2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा पांचवी तक ( अंग्रेजी माध्यम ) के लिए अनंतिम मान्यता प्रदान की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों को पूरा किये जाने के अधीन है–

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी रूप में कक्षा के पश्चात 5 मान्यता / संवर्धन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
2. विद्यालय निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपबंध 1) और निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपबंध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस–पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
4. धारा 3 में निर्दिष्ट बालकों लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इनकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा।

(क) प्रवेश दिये गये किसी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा।

(ख) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा

(ग) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगा।

(घ) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाणपत्र प्रदान किया जायेगा।

(ङ) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

(च) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23 (1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनम अर्हतरएँ नहीं हैं, पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएँ अर्जित करेंगे।

(छ) अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और

(ज) अध्यापक स्वयं को किसी-निजी अध्यापन क्रियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा।

अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गयी प्रसुविधाएँ निम्नानुसार हैं–

(क) विद्यालय परिसर का परिक्षेत्र–उपलब्ध है ।

30/8/14

Santosh

MANAGER
S. D. S. Public School
Kharauha, Mahadewa-Bazar

(ख) कीड़ा स्थल है ।
(ग) कक्षा कक्षो की संख्या मनकानुसार उपलब्ध है।
(घ) प्राध्यापक–सह–कार्यालय–सह–भण्डारगृह के लिए कक्ष–है ।
(ङ) बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय– है ।
(च) पेयजल सुविधा– है ।
(छ) मिड–डे–मील पकाने के लिए रसोई————————नही है ।
(ज) बाधारहित पहुँच है ।
अध्यापन पाठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्करो/पुस्तकालय की उपलब्धता–है ।

9. विद्यालय के परिसरों के भतीर या उसके बाहर विद्यालय के नाम कोई गैर–मान्यता प्राप्त कक्षाएँ नहीं चलायी जायेंगी।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किया जाता है।

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किये जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक– BST-PS-E-048 है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्यांक का उल्लेख करें।

15. विद्यालय द्वारा समय–समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी, द्वारा अपेक्षित रिर्पोट/सूचनऐं समसय प्रस्तुत की जायेगी और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन किया जायेगा जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करे या विद्यालय के संचालक की कमियों को दूर करने के लिए जारी किये जाएं।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीनीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये।

17. संलग्न उपबन्धो के अनुसार अन्य कोई शर्त।

18. उपरोक्त मान्यता सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी की निरीक्षण आख्या तथा उनकी संस्तुति के आधार मान्यता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के कम मे प्रदान की गयी है। भविष्य मे यदि कोई तथ्य गोपन पाया जाता है अथवा कोई कूटरचित/ फर्जी /प्रतिकूल तथ्य प्रकाश मे आता है तो यह आदेश निर्गत तिथि से स्वतः समाप्त समझा जायेगा ।

भवदीय

( एम0 पी0 सिंह )
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बस्ती।

पृ0सं0 बेसिक–4 / /2014–15 दिनांक उक्त प्रकार ।
प्रतिलिपि – सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बस्ती।

MANAGER
S. D. S. Public School
Kharauha, Mahadewa-Basti

Form No:4522

# Office of the District Basic Education Officer

# BASTI

## CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that **SDS PUBLIC SCHOOL KHADAUWA MAHADEVA BASTI,VILL KHADAUWA POST PAGAR DISTRICT BASTI** is permanently recognized for Upper Primary(class 6 to 8).The Recognition number alloted to SDS PUBLIC SCHOOL KHADAUWA MAHADEVA BASTI is **BAS095557486**.The applicable terms and conditions of the recognition of your school is annexed.

| | |
|---|---|
| 2. DATE OF ISSUE | 14-09-2023(DD/MM/YYYY) |
| 3. Recognition Type | Old |
| 4.School Type | Upper Primary School(6 to 8) |
| 5.Recognition No. | BAS095557486 |

DATE:- 14-09-2023

PLACE:- BASTI

**District Basic Education Officer**

Digitally signed by ANOOP KUMAR TIWARI
Date: 2023.09.14 13:10:05
Reason: For Digital Signature
Location: BASTI

Santosh

S. D. S. Public School

# कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती

पत्रांक / 9202 /2025–26 दिनांक 29-10-25

## प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सुभावती देवी सत्यदेव पब्लिक स्कूल(एस0डी0एस0,पब्लिक स्कूल) खड़ौहा, बस्ती (कक्षा–1 से 5 तक) एवं SDS PUBLIC SCHOOL KHADAUWAN MAHADEVA BASTI, VILL KHADAUWA POST PAGAR DISTRICT BASTI (कक्षा–6 से 8 तक) दोनों विद्यालय एक ही संस्था द्वारा संचालित है जिसका नाम एक ही है तथा प्राथमिक स्तर का यूडायस नम्बर –09550406803 एवं उच्च प्राथमिक स्तर का यूडायस नम्बर–095550406805 है। नर्सरी से आठ तक स्थायी मान्यता प्राप्त विद्यालय है ।

(अनूप कुमार तिवारी)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बस्ती

Santosh
MANAGER
S. D. S. Public School
Khadauwa, Mahadewa-Basti